भारत सरकार

गृह मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1522

दिनांक 50305.2016/13 वैशाख, 1938 (शक) को उत्तर के लिए

कोल्लम आपदा हेतु सहायता

†1522. श्री एन.के. प्रेमचन्द्रन:

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को केरल से पारालूर पूटिंगल मंदिर, कोल्लम, केरल में पाईरोटेक्निक दुर्घटना संबंधी आपदा प्रबंधन हेतु सहायता हेतु अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं;
(ख) यदि हां, तो तसंबंधी ब्यौरा क्या है तथा इन पर क्या कार्रवाई की गई है;
(ग) क्या सरकार का विचार इस दुर्घटना को राष्ट्रीय आपदा घोषित करने का है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(घ) केरल राज्य सरकार को आपदा प्रबंधन हेतु अब तक कितनी वित्तीय सहायता दी गई है?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री **(श्री किरेन रिजिजू)**

(क) से (घ) : जी हां। इस मंत्रालय को इस मामले में केरल सरकार से एक ज्ञापन प्राप्त हुआ है।

पुट्टिंगल देवी मंदिर, पारावुर, जिला कोल्लम में पटाखों की घटना सहित आपदा को राष्ट्रीय आपदा के रूप में घोषित करने के संबंध में उल्लेख किया जाता है कि

<u>लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या: 1522</u>

एसडीआरएफ/एनडीआरएफ के वर्तमान दिशानिर्देश आपदा/त्रासदी को राष्ट्रीय विपत्ति/आपदा के रूप में घोषित करने की अपेक्षा नहीं करते हैं। तथापि, गंभीर प्रकृति की आपदा के मामले में, अधिसूचित प्राकृतिक आपदाओं के लिए वित्तीय सहायता एसडीआरएफ से पूरी की जाती है जिसे बाद में स्थापित प्रक्रिया के अनुसार राष्ट्रीय आपदा कार्रवाई निधि (एनडीआरएफ) से सम्पूरित किया जाता है, जिसमें एक अंतर-मंत्रालयी केन्द्रीय दल के दौरे पर आधारित आकलन शामिल है।

69.375 करोड़ रु. की एसडीआरएफ की केन्द्रीय अंशदान की दोनों किस्तें क्रमश: दिनांक 27 मई, 2015 और 30 मार्च, 2016 को राज्य को जारी कर दी गई हैं। इस प्रकार, भारत सरकार ने राज्य में अधिसूचित प्राकृतिक आपदाओं द्वारा आरंभ की गई राहत के प्रबंधन के लिए केरल को एसडीआरएफ से 138.75 करोड़ रु. जारी किए हैं।

******